शोध मंथन Vol. XIV No.IV Oct.-Dec. 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:shodhmanthan.anubooks.com*

संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता एवं नारी सशक्तिकरण

प्राप्तिः 17.11.2023
स्वीकृतः 21.12.2023

डॉ० प्रदीप कुमार
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विभाग
जे०एस०एच० पी०जी० कॉलेज, अमरोहा
ईमेलः *drpradeepkumar1410@gmail.com*

82

सारांश

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 1.4 अरब की जनसंख्या में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। पौराणिक काल में नारी को पूज्नीय माना गया, परन्तु सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से नारी समुदाय सभी क्षेत्रों में विषमता का शिकार हो गया। इस विषमता में पितृतंत्र से जुड़ी संस्थाओं, श्रम–विभाजन एवं बाजारवाद की अहम भूमिका रही।

गत दशकों में व्यवस्थापिका एवं सरकारों की नीतियों, निर्णय, योजनाएँ एवं कार्यक्रमों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन से कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आये है। यद्यपि अधिकांश क्षेत्रों में स्थिति निराशाजनक है। इसी के दृष्टिगत नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है ताकि स्वयं के प्रतिनिधि एवं स्वयं के संदर्भ में निर्णय लेने के अधिकार महिलाओं को प्राप्त हो। इस राजनीतिक सहभागिता से निश्चित ही नारी सशक्तिकरण का कार्य सम्पन्न होगा।

मुख्य बिन्दु

महिला सशक्तिकरण संकल्पना, राजनीतिक सहभागिता संकल्पना, स्थानीय स्वशासन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, चुनौतियाँ।

भारत एक सशक्त, सम्प्रभु एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ ही विविधताओं से परिपूर्ण संघीय राष्ट्र है। भारत उन देशो में सम्मिलित है, जिनमें लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतंत्र से आशय उस व्यवस्था से है, जिसमें शासन या सत्ता का अंतिम सूत्र समुदाय के सभी सदस्यों में निहित होता है। इसमें सार्वजनिक नीति, निर्णय एवं योजनाओं का निर्धारण एवं क्रियान्वयन नागरिकों की इच्छा एवं उनके हितार्थ के उद्देश्य से निर्धारित होता है। लोकतंत्र की अवधारणा के उपरान्त संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा को परिभाषित किया जाना आवश्यक है।

संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य सरकार की उस व्यवस्था से है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ये प्रतिनिधि व्यस्क मतदाताओं द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रणाली में स्वतंत्र एवं निष्पक्षतापूर्ण तरीके से निर्वाचन आयोग के निर्देशन में निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों से विधायिका का निर्माण होता है एवं विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका निर्मित होती है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के रूप में नाममात्र की कार्यपालिका के समान

है, जबकि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं।[1] संविधान के अनुच्छेद 74(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा। यद्यपि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसे परामर्श पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है, लेकिन ऐसे पुनर्विचार के उपरान्त दिये गये परामर्श के अनुसार ही वह कार्य करेगा।[2]

विदित है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 1.4 अरब है। इसमें लगभग आधी जनसंख्या नारी समुदाय की है। नारी की स्थिति ही किसी राष्ट्र या सामाज की दशा एवं दिशा का निर्धारण करती है। पौराणिक काल से ही नारी को भारत में पूज्नीय माना गया है तथा नारी का महिमामंडन शक्तिस्वरूपा एवं वंदनीय रूप में हुआ है। तत्समय प्राचीन धर्मग्रंथों में उल्लिखित सूत्र वाक्य ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' नारी की सुदृढ़ स्थिति को दर्शाता है। कालान्तर में सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से समाज का स्वरूप पितृतंत्रात्मक हो गया। यद्यपि गत दशकों में नारी की स्थिति में कुछ क्षेत्रों में सम्मानजनक एवं सकारात्मक बदलाव आये हैं, परंतु अधिकांश क्षेत्रों में नारी की स्थिति उपाश्रित वर्ग की बनी हुई है। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सहभागिता से संबधित वृहत् संसूचक समाज में नारी की कमजोर स्थिति को दर्शाते है। इसमें पितृतंत्र से जुडी संस्थाओं, श्रम विभाजन और बाजार–समाज से जुड़ी मान्यताओं की भी भूमिका है।

स्वतंत्रता उपरान्त से अद्यतन् तक व्यस्थापिका एवं सरकारों द्वारा संविधान एवं संशोधनों के माध्यमों से नारी हितार्थ कार्यरत रही तथा परिणामतः उनके लिए अनेक योजनाएं तथा कानून अस्तित्व में आये हैं। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, दहेज निशेध अधिनियम 1961, स्त्री प्रथा (निवारण) अधिनियम 1961, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अधिनियम 2001, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 सहित अनेक प्रावधान उनके हितार्थ बनाये गये हैं। नारी की शारीरिक संरचना, सृष्टि सृजन में निरंतरता तथा जीवन निर्वाह के दृष्टिगत रोजगाररत् महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान भी बनाये गये हैं। भारत में नारी से सम्बंधित समस्याओं के दृष्टिगत् राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत किया गया। यह उनके हितों के संरक्षण, संवर्धन और वैधानिक अधिकारों की रक्षा का एक संवैधानिक निकाय है। जल जीवन मिशन, बेटी बचाओं बेटी पढाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम उनके हितार्थ अस्तित्व में हैं।

इसके बावजूद समाज में महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर एवं राजनैतिक नेतृत्व जैसे न्यायपरक मूल्यों में विषमता का शिकार है। स्त्री–पुरूष गैर बराबरी के इन्हीं चार आयामों को मानक बनाकर वैश्विक लैंगिक अन्तराल सूचकांक द्वारा जारी आंकड़ें दर्शाते हैं कि इस समय भारत लगभग 150 देशों की सूची में लगातार 100 से नीचे स्थान पर रहा है। इसी वर्श अप्रैल माह में मैपिंजी ग्लोबल इंस्टीटयूट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश की नारी को आर्थिक क्षेत्र में समानता का अवसर मिलने पर भारत की जी.डी.पी. में 770 अरब डालर अथवा 18 प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी। इस समय भारत में कुल श्रम–बल में लगभग 25 प्रतिशत नारी समुदाय की भागीदारी है एवं देश की जी.डी.पी. में महिलाओं का योगदान लगभग 18 प्रतिशत है, यह दुनिया में

सबसे कम है। इन्हीं के दृष्टिगत पूर्व में प्रदत्त स्थानीय निकायों में नारी के राजनीतिक नेतृत्व की तरह ऐतिहासिक संविधान संशोधन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की लोक सभा एवं राज्य विधानसभाओं में एक–तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करके उनके राजनीतिक नेतृत्व को सशक्त करने का कार्य किया गया है।[3]

महिला सशक्तिकरण संकल्पना

गत् दशकों में महिलाओं ने कला, ज्ञान–विज्ञान, खेलकूद, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा तथा सार्वजनिक जीवन सहित सभी क्षेत्रों में उपलब्धि एवं मापदंडों को छुआ है। आज भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो।[4] अद्यतन् रक्षा क्षेत्रों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी (NDA) में सशस्त्र बलों ने महिला उम्मीदवारों के लिए प्रवेश खोले हैं। चन्द्रयान–3 मिशन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में 100 से अधिक महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है।[5]

महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं में आत्मशक्ति की भावना, स्वयं के विकल्पों को निर्धारित करने की क्षमता, स्वयं और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए अधिकार एवं समानता तथा उपलब्धियों के प्रति जागरूकता सुनिश्चित हुई है। विस्तृत अर्थों में महिला सशक्तिकरण एक सर्वांगीण संकल्पना है। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, निवेश, नियोजन, कौशल विकास एवं राजनीतिक प्रतिभाग जैसे सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधनों का आवंटन तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सम्मिलित है।

सशक्तिकरण से आशय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की सक्रिय एवं सतत् भागीदारी से भी है। वस्तुतः स्त्रियों को वस्तुनिष्ठ तौर पर ऐसी सुविधाएं दी जाए, जिसके सहारे वे अपने व्यक्तित्व का स्वेच्छा से निर्माण कर सके। अतः उनके लिए शिक्षा, नियोजन, आर्थिक संसाधनों के साथ ही राजनीतिक सहभागिता एवं स्थानीय, राज्य तथा केन्द्र के स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व का अवसर अपरिहार्य है। इससें वे अपनी सृजनशीलता से प्रगति एवं विकास के नए मापदंड निधारित कर सकेगी।[6]

राजनीतिक सहभागिता

वर्तमान परिदृश्य से स्पष्ट है कि स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति संरचना एवं निर्णय प्रक्रिया से जुडी राजनीतिक भागीदारी में महिलाएं उपाश्रित वर्ग की भूमिका में है। राजनीतिक संदर्भ में महिला सशक्तिकरण के स्तर का मापदंड इस आधार पर दृष्टिगत होता है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण एवं सहभागिता के मामले में उन्हें कितनी स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त है।

राजनीतिक सहभागिता से आशय प्रजातंत्र में ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत नागरिक मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते है एवं सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निरूपण तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक सहभागिता वहाँ सार्थक होती है, जहाँ प्रतिनिधि सब महत्वपूर्ण मुददों पर नागरिकों से निर्देश प्राप्त करते हैं तथा अपनी इच्छा को नागरिकों की इच्छा के रूप में प्रस्तुत नहीं करते है। राजनीतिक सहभागिता को कार्यरूप में परिणित करने के लिए सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर क्रिया अपरिहार्य है अर्थात्

इसमें नागरिक भी पहल कर सकते हैं, सरकार भी पहल कर सकती हैं। दोनों परिस्थितियों में इसके कुछ परंपरागत तरीके भी हो सकते हैं, गैर–परंपरागत तरीके भी हो सकते हैं।[7]

महिलाओं की प्रगति, उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, विशेशकर राजनीति में उनका सशक्तिकरण हो, उनकी सहभागिता का स्तर ऊँचा हो। ऐसा होने पर ही लैंगिक आधार पर एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु तीन आधारभूत सिद्धांतो को अनिवार्य माना जा सकता है–

1. स्त्री–पुरूष के मध्य समानता।
2. स्वयं की क्षमता के पूर्ण विकास का अधिकार।
3. स्वयं के प्रतिनिधि एवं स्वयं के संदर्भ में निर्णय लेने का महिलाओं को अधिकार।

असमानता पर आधारित लैंगिक सम्बंधों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है कि वर्तमान वैश्विक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सत्ता एवं शक्ति के मुख्य बिंदुओं यथा राज्य, बाजार तथा नागरिक समाज का नेतृत्व करने के लिए महिलाएं आगे आये। स्वयं को प्रभावित करने वाली योजनाओं तथा नीतियों को अपने अनुकूल निर्मित करवाने के लिए महिलाओं को सत्ता के गलियारे में अपनी मजबूत उपस्थिति बनानी होगी और ऐसी शक्ति अर्जित करनी होगी, कि वे स्वयं के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित कर सकें।

स्थानीय स्वशासन

स्थानीय स्वशासन शासन की वह व्यवस्था है, जिसमें स्थानीय स्तर पर प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी समस्याओं को समझने तथा उनका निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था एक और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करती है, वही दूसरी ओर नागरिको को स्वयं अपनी समस्याओं का निस्तारण करने का मार्ग प्रशस्त करती है।

ipak;rh jkt ;oLFkk Hkkjr dsfy, ubZ ugha gS A Hkkjr eas izkphu dky l sgh ipak;rksa dk vfLrRo jgk gSA fcfV'k dky esa Hkh bl s tkjh j[kk x;k rFkk bl s l q<+ djus ds fy, vusd iz;kl fd, x,A v|ru~ l u~ 1992 eas rRdkyhu iz/kkuea=h Jh ujfl Egk jko ds usrRo eas ikfjr 73osa rFkk 74osa l afo/kku l'akks/kuks}kjk ipak;rksa rFkk uxjikfydkvksa dks l aoS/kkfud ntkZ iznku fd;k x;kA bl ds ek/;e l s LFkkuh; Lo"kkl u ds fy, ewy Hkkx 9 eas ipak;r fudk; rFkk Hkkx 9d eas uxjfudk;ksa dh ;oLFkk dh x;h gSA bu l s l Ecfa/kr vuql wph 11 rFkk vuql wph 12 dks Hkh tksM+ x;k gSA

पंचायत निकाय में व्यवस्था है कि प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकाय मे भी संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत व्यवस्था है कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर भरे जाने वाले स्थानों में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनका आवंटन चक्रानुक्रम किया जायेगा।

स्थानीय निकायों में महिलाओं को प्राप्त भागीदारी अब धीरे–धीरे प्रतीकात्मक से वास्तविकता का रूप ले रही है। स्थानीय निकाय में प्राप्त भागीदारी से इन महिलाओं में अब अधिकार चेतना एवं दायित्व का बोध जागष्त हो रहा है तथा इस विकेन्द्रीत लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

भारत की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या आधी है। देश के सतत् और समतावादी विकास के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण में उनके सकारात्मक विकास तथा सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना अपरिहार्य है। विविधता, प्रतिभा और अंतर्दृष्टि लाने के लिए शासन–प्रशासन का नारीकरण बेहद अहम है। संसद एवं राज्य विधान सभाओं में जेंडर बजटिंग सरीखे जन–नीति के नवाचारों पर तर्कसम्मत विमर्श के लिए सदनों में महिलाओं की उपस्थिति अपरिहार्य है।

महिला सांसदों की लोकसभा में हिस्सेदारी सन् 1952 में 4 प्रतिशत से बढ़कर सन् 2019 में लगभग 15 प्रतिशत तक पहुँच गई है। उच्च सदन में भी इनकी लगभग यही स्थिति है। राज्यों के संदर्भ में स्थिति चिंताजनक है। लगभग 19 राज्यों में इनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी नीचे है। यह वैश्विक औसत 26 प्रतिशत से काफी कम है। हालांकि मतदाताओं के रूप में इनका मतदान प्रतिशत पुरूषों से ज्यादा है। सन् 1962 में लोकसभा चुनाव में पुरूष एवं स्त्रियों का मतदान प्रतिशत क्रमशः 62 तथा 46.6 प्रतिशत था, लेकिन सन् 2019 के चुनाव में पुरूष–स्त्री मतदान प्रतिशत क्रमशः 67 प्रतिशत तथा 67.2 प्रतिशत रहा था।[9]

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर सर्वोच्च स्तर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागेदारी को संस्थानिक रूप देने की कोशिश की है। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई स्थान आरक्षित करेगा। यह लैंगिक समानता और समावेशिता के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे महिला नेतृत्व को बढावा मिलेगा एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने में राष्ट्र की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।[10] देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के निराशाजनक प्रतिनिधित्व के साथ यह पिछले तीन दशकों से प्रतीक्षारत् था। यह पूर्व में संसद में सन् 1996, 1998, 2002, 2003 एवं सन् 2010 में विधेयक के रूप में लाया गया था, परंतु विभिन्न राजनीतिक कारणों एवं इच्छा तथा स्वार्थपरक हितों के कारण अधिनियम नहीं बन सका था।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने के अलावा इस अधिनियम में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानो में से एक–तिहाई स्थान इन्ही वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस अधिनियम को विधेयक के रूप में केन्द्रीय कानून एवं न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा संसद में रखा गया। संसद में इस संविधान संशोधन विधेयक (128वा संसोधन, बाद में इसे सुधार कर 106वा संसोधन कर दिया गया) पर विमर्श के समय केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 2024 के आम चुनाव के बाद नई सरकार जनगणना और परिसीमन कराएगी एवं सन् 2029 तक इस पर अमल हो जाएगा।

चुनौतियाँ

स्थानीय निकायों में महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत अब लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से विस्तृत रूप देने का कार्य कर ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। यद्यपि इसे अभी लंबी दूरी तय करनी है। इसमें मुख्यतः निम्नवत् चुनौतियाँ हैंः–

1. अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि सीटें कैसे तय होगी, बारी–बारी से कैसे तय होगी और उन राज्यों में क्या होगा, जहाँ तीन लोक सभा से कम सीटें हैं।
2. राजनीतिक नेतृत्व में सीटें आरक्षित करने के साथ ही यह भी मुख्य चुनौती है कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे आये।
3. समाज में समानता एवं सदभाव जैसे मूल्यों के लिए महिलाओं की निर्णय शक्ति को मजबूत कैसे किया जाये।
4. महिलाओं के लिए आरक्षण वाले विभिन्न स्थानीय निकायों में यह देखा गया है कि निर्वाचित महिला सरपंचों पर परिवार के पुरूष सदस्यों खासकर पतियों की ही चलती है। उन्हें 'सरपंच पति' या 'पार्षद पति' कहा जाने लगता है और वे अपनी निर्वाचित पत्नियों के स्थान पर कार्य करते हैं। हालांकि इधर कुछ वर्षों में इस प्राक्सी प्रतिनिधित्व में काफी हद तक गिरावट आयी है।
5. सन् 2026 के बाद परिसीमन की कवायद को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषतः दक्षिण राज्यों की ओर से, जिन्हें जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कवायद में लोकसभा में कुछ स्थानों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह आशंका है कि लोकसभा में कम जनसंख्या वाले दक्षिणी राज्यों को अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों के मुकाबले कम सीटे मिलेंगी। इससे यह आशंका उत्पन्न होना स्वभाविक है कि परिसीमन समयवद्ध कैसे पूरा होगा।

निष्कर्ष एवं भविष्य

संसाधनों के प्रबंध, आधारभूत संरचना, उत्पादन प्रक्रिया, आर्थिक विषमता, नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया में असमान सहभागिता आदि ऐसी मूलभूत समस्याएँ हैं, जिसके बिना महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा होने में संदेह है। यद्यपि भारत सम्पूर्ण विश्व में अपनी सांस्कृतिक अस्मिता और अलग पहचान के लिए विख्यात है। इस संस्कृति का एक पुरातन मंत्र है – 'न दैव्नं न पलायनम' अर्थात भागो नहीं दुनिया को बदलो। इसी के दृष्टिगत नारी सशक्तिकरण हेतु अमृत काल के इस दौर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम अस्तित्व में आया है। संसद संबोधन में उन्होने इस तथ्य को रेखाकिंत किया कि ''आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है।''

महिला सशक्तिकरण किसी व्यक्तिगत उन्नति तक आधारित न होकर एक शांतिपूर्ण, उन्नत, विकसित एवं खुशहाल समाज, राष्ट्र तथा विश्व के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। हेनरी क्लिंटन के अनुसार महिलाएं दुनिया में प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार है, जिसका अभी तक पूरी तरह सदुपयोग नहीं किया जा सका है। समस्त प्रयासों उपरान्त दृष्टिगत होता है कि निश्चित ही भविष्य में न्यायोजित समतामूलक, लोकतांत्रिक एवं विकसित राष्ट्र का भारत का सपना साकार होगा।

संदर्भ

1. पाण्डेय, डॉ० जय नारायण. (2003). भारत का संविधान. सैन्ट्रल लॉ एलेन्सीः इलाहाबाद. पृष्ठ **363.**
2. शर्मा, अभिषेक. (2001). भारतीय राजनीतिक व्यस्था. स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा0 लि0.: जनकपुरी. पृष्ठ **97.**

3. (2003). इण्डिया टुडे. नई दिल्ली. 4 अक्टूबर पृष्ठ **22.**
4. कुमारी, कल्पना. (2023). हर क्षेत्र में बराबर नजर आती है महिलाएँ. हिन्दुस्तान. मुरादाबाद. 26 अगस्त. पृष्ठ **08.**
5. योजना. (2023). नई दिल्ली. नवम्बर. पृष्ठ **29.**
6. वर्मा, प्रो० (डा०) सवलिया बिहारी., सोनी, डा० एम०एल०. (2005). महिला जागृति और सशक्तिकरण. आविष्कार पब्लिशर्सः जयपुर. पृष्ठ **291, 292.**
7. गाबा, ओ०पी०. (1998). राजनीति विज्ञान विश्वकोश. मयूर पेपर बैक्सः नोएडा. पृष्ठ **153–156.**
8. काश्यप, सुभाष. (2021). हमारा संविधान. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासः नई दिल्ली, भारत. पृष्ठ **312.**
9. (2003). इण्डिया टुडे. नई दिल्ली. 4 अक्टूबर. पृष्ठ **22.**
10. (2023). कुरूक्षेत्र. नई दिल्ली. नवम्बर. पृष्ठ **27.**